महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 -2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक : एफ.07(170) / मगंसिंविबी / प्रबंध मण्डल–44वीं / 2025 / 14329 दिनांक 05-12-25

समस्त माननीय सदस्य,
प्रबंध बोर्ड,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषय :– प्रबंध बोर्ड की 44 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 21.11.2025 को आयोजित हुई प्रबंध बोर्ड की 44 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 13550–67 दिनांक 25.11.2025 के साथ प्रेषित कर सात दिवस में आपत्ति आमंत्रित की गई थी। उक्त कार्यवाही विवरण पर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रबंध बोर्ड की 44 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी किया जाता है जिसकी प्रति संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

05/12/25

कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड–44/2025/14329 दिनांक 05/12/2025

प्रबन्ध बोर्ड की 44 वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 44 वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2025 को मध्याह्न 12:00 बजे प्रबन्ध बोर्ड सभागार, महर्षि शौनक भवन (कुलगुरु सचिवालय) में माननीय कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र.स.	माननीय सदस्य का नाम	
1	**आचार्य मनोज दीक्षित, माननीय कुलगुरु** महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	**अति. संभागीय आयुक्त, बीकानेर** प्रतिनिधि, शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
3	श्री हरिताभ कुमार आदित्य, शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। प्रतिनिधि, अति. मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार	सदस्य (ऑनलाइन)
4	**श्री वरूण यादव** माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (ऑनलाइन)
5	**डॉ. विश्वपति त्रिवेदी** माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
6	**प्रो. अमर सिंह** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
7	**डॉ. अखिलानन्द पाठक** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
8	**प्रो. कमल कुमार मिश्रा** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
9	**डॉ. ग्यारसी लाल जाट** राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
10	**डॉ. सतपाल स्वामी** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
11	**प्रो. अन्नाराम शर्मा** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
12	**प्रो. अनिल कुमार छंगाणी** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य (ऑनलाइन)
13	**प्रो. राजाराम चोयल** कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
14	**श्री कुणाल राहड़** कुलसचिव	सदस्य सचिव
15	**श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़, वित्त नियंत्रक**	विशेष आमंत्रित सदस्य

प्रबन्ध बोर्ड की 44 वीं बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रबन्ध बोर्ड में प्रथमबार व्यक्तिशः पधारे श्री विश्वपति त्रिवेदी, प्रो. कमल कुमार मिश्रा एवं प्रो. अमर सिंह जी का हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया। प्रबन्ध बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप उपस्थित वित्त नियंत्रक श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़ का भी स्वागत किया गया तथा निर्वतमान सदस्य सचिव श्री अरविन्द बिश्नोई जी द्वारा विश्वविद्यालय कार्यो में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

सदस्य सचिव द्वारा सर्वप्रथम समस्त सदस्यों का परिचय करवाया गया। तत्पश्चात प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण से अवगत करवाया गया :–

1. दिनांक 23 नवम्बर, 2025 को विश्वविद्यालय में विकसित भारत–विकसित राजस्थान के संदर्भ में **''पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन की पुनर्कल्पना''** विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित हो रही है जिसमें माननीय केन्द्र कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे है। समारोह में प्रबन्ध बोर्ड के समस्त माननीय सदस्य सादर आमंत्रित है।
2. राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2025 से विश्वविद्यालय परिसर में **''5 वें खेलों इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स–2025''** का आयोजन किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में भारोत्तोलन एवं कबड्डी खेल का आयोजन किया जा रहा है।
3. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित करवाई गई। 06 दिसम्बर, 2025 को **''महापरिनिर्वाण दिवस''** पर विधि विभाग के सामने स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर उद्यान में उनकी प्रतिमा स्थापित करवाई जा रही है। साथ आगामी 23 जनवरी, 2026 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा भी स्थापित करवाई जाएंगी।
4. दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को विश्वविद्यालय का **दशम दीक्षांत समारोह** आयोजित हो रहा है जिसमें परीक्षा वर्ष 2024 के सफलतम अभ्यर्थियों को उपाधि एवं पदक तथा 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके शोधार्थियों को विद्या–वाचस्पति की उपाधि प्रदान की जाएगी।

   समस्त माननीय सदस्यों से दीक्षांत समारोह में निर्धारित वेशभूषा में पधारने का आग्रह किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबन्ध बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :–

मद संख्या	मद	संबंधित विभाग / अनुभाग
557	दिनांक 29.06.2024 को आयोजित हुई प्रबंध बोर्ड की 43 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
558	दिनांक 07.01.2025 को आयोजित हुई प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
559	दिनांक 14.06.2025 को आयोजित हुई प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
560	दिनांक 25.07.2025 को आयोजित हुई प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	
निर्णय	**पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
561	विद्या परिषद की दिनांक 26.07.2025 को आयोजित हुई 24 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा प्रदत्त आज्ञा की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ.07(112) मगंसिविबी / शैक्ष–II / 2025 / 8377 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
562	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रबंध बोर्ड की 111 वीं बैठक दिनांक 19.05.2025 के मद संख्या 34 (6) के निर्णय की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 14585–662 दिनांक 09.06.2025 (प्रति–संलग्न) के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत यू.जी.सी. योग्यताधारी एवं पात्र स्थायी अधिकारियों / कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न	

	विभागों में कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात् अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य करवाने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के समान ही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में कार्यरत यू.जी.सी. योग्यताधारी एवं पात्र स्थायी अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात् अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य करवाने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।**	संस्थापन अनुभाग
563	कार्मिक विभाग (क–ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.7(4)डीओपी/ए–2/2023 दिनांक 05.07.2024 को प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलगुरु महोदय की स्वीकृति से लागू करते हुए राज्य सरकार के कार्मिकों के समान विश्वविद्यालय में पदस्थापित अशैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों को नियमित पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 6394 दिनांक 08.08.2024 जारी किया गया। उक्त आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई।**	संस्थापन अनुभाग
564	कार्मिक विभाग (ए–ग्रुप II), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.7(4) DOP/A-II/ 2023/04341 Dated: 17.7.2025 (प्रति संलग्न) को राज्य सरकार के कार्मिकों के समान ही विश्वविद्यालय में पदस्थापित अशैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को नियमित विभागीय पदोन्नति समिति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन का प्रावधान अंगीकृत करते हुए इस विश्वविद्यालय में लागू करने का प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अंगीकृत करने का अनुमोदन किया गया।**	संस्थापन अनुभाग
565	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 18185 दिनांक 26.03.2025 (प्रति–संलग्न) के द्वारा विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिक श्री ऋषिराज पाराशर की वर्ष 2024–25 में कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा (हिन्दी) दिनांक 28.03.2025 को दोपहर 02.00 बजे विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 17459 दिनांक 10.03.2025 (प्रति–संलग्न) के द्वारा गठित समिति के समक्ष हिन्दी भाषा में आयोजित की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण के क्रम में विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक 18366 दिनांक 29.03.2025 (प्रति–संलग्न) के द्वारा उक्त कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा	

	(हिन्दी) का परिणाम (सफल) घोषित किया गया। प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों के समक्ष उक्त परिणाम की प्रति पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई।**	संस्थापन अनुभाग
566	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में कार्यरत डॉ. सुरेन्द्र कुमार गोदारा, सहायक कुलसचिव द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2024 (प्रति–संलग्न) प्रस्तुत कर म.द.स. विश्वविद्यालय अजमेर की अधिसूचना दिनांक 05.02.2020 अथवा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के गजट अधिसूचना दिनांक 16.10.2020 में वर्णित पदोन्नति हेतु प्रचलित प्रावधानानुसार 01.04.2023 से उप कुलसचिव के रिक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। डॉ. सुरेन्द्र कुमार गोदारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के क्रम में विश्वविद्यालय में प्रभावी नियमों एवं प्रावधानों के क्रम में तथ्यात्मक टिप्पणी संलग्न कर प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।**	संस्थापन अनुभाग
567	श्री अरविन्द कुमार व्यास, सेवानिवृत अनुभाग अधिकारी द्वारा इस विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 में किए गये समायोजन के संबंध में संशोधन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ के संबंध में प्रस्तुत परिवेदना पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंषा प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :– श्री अरविन्द कुमार व्यास, सेवानिवृत अनुभाग अधिकारी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(7)शिक्षा–4/2003 दिनांक 14.05.2003 के द्वारा इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिए पदस्थापित किया गया। विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 27.09.2006 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार व्यास को विश्वविद्यालय में उपलब्ध समकक्ष पदों के प्रतिकूल इनके वेतन को संरक्षित करते हुए समायोजन करने का निर्णय लिया गया। प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार श्री व्यास द्वारा सहमति प्रदान की गई परन्तु ततसमय उक्त समायोजन के संबंध में न्यायिक वाद दायर होने एवं प्रशासनिक/वित्तीय कारणों से समायोजन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.10(7)शिक्षा–4/2002/पार्ट दिनांक 30.09.2003 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं इस सम्बंध में राज्य सरकार से समय–समय पर हुए पत्राचारों के क्रम में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 13.04.2011 के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/बोम–4/2011/157(iii) की अनुपालना में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री अरविन्द कुमार व्यास, स्टोर असिस्टेंट एवं श्री रामकिशाोर यादव, स्टेनो टाईपिस्ट से इनके पैतृक विभाग (तिलम संघ, राजस्थान) में धारित पद के समकक्ष पद क्रमशः कार्यालय सहायक	

	एवं वरिष्ठ लिपिक पद पर इनकी सेवाओं के समायोजन हेतु निर्णय लिया गया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय पत्र दिनांक 17.06.2011, 19.09.2011, 30.01.2012, 12.03.2012 एवं 18.04.2012 के द्वारा उक्त कार्मिकों को लिखित सहमति प्रदान करने हेतु पत्र लिखा गया। श्री अरविन्द कुमार व्यास ने कार्यालय सहायक पद एवं श्री रामकिशोर यादव ने वरिष्ठ लिपिक पद पर उनकी सेवाओं का विश्वविद्यालय में समायोजन हेतु अन्तिम रूप से पत्र दिनांक 19.04.2012 एवं 20.04.2012 के द्वारा बिना शर्त लिखित सहमति प्रस्तुत करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त उक्त दोनों कार्मिकों का इस विश्वविद्यालय में दिनांक 21.04.2012 को समायोजन किया गया। श्री अरविन्द व्यास इस विश्वविद्यालय से दिनांक 31.08.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके है। विश्वविद्यालय द्वारा श्री व्यास को समायोजन से इनके सेवानिवृत्ति तक के समस्त देय परिलाभ इनको प्रदान किये जा चुके है। इनके मूल विभाग में नियुक्ति से समायोजन से पूर्व तक की सेवाओं के लाभ हेतु इनके पैतृक विभाग द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जानी है। श्री अरविन्द कुमार व्यास द्वारा इस विश्वविद्यालय में समायोजन उपरांत दिनांक 21.04.2012 से सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2018 तक सेवा की गई थी, जो पेंशन योग्य नियमों में अंकित प्रावधानानुसार सेवा अवधि 10 वर्ष से कम होने कारण इनकी सेवा पेंशन योग्य सेवा नहीं है। श्री अरविन्द कुमार व्यास द्वारा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2018 के उपरांत समायोजन तिथि में संशोधन कर पेंशन परिलाभ प्रदान किए जाने से संबंधित प्रकरण पर समय–समय पर प्रेषित परिवेदनाओं, माननीय विधायकगणों द्वारा अग्रेषित पत्रों, मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 26.05.2025, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन जयपुर के पत्र दिनांक 23.06.2025 एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के परिवाद 25/08/1781 के क्रम में प्रकरण के संबंध में माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसकी बैठक दिनांक 25.07.2025 तथा 29.07.2025 को आयोजित की गई। समिति द्वारा उक्त परिवेदनाओं एवं पत्रों का विश्वविद्यालय में संधारित तथ्यों नियमों, आदेशों व स्वीकृत पदों आदि के रिकॉर्ड का अवलोकन कर अपनी अनुशंषा प्रस्तुत की है। माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त अनुशंषा प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा उपरान्त सैद्धान्तिक सहमति देते हुए उपरोक्त कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए केवल पेंशन अवधि की गणना के दृष्टिगत सकारात्मक रूख से प्रस्ताव तैयार कर उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।**	संस्थापन अनुभाग

568	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, तत्कालीन आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी) द्वारा तीन माह नोटिस अवधि के समान वेतन राशि जमा करवाये जाने से छूट प्रदान किये जाने एवं लियन से वंचित न रखे जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सबंधी प्रस्ताव :– प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, तत्कालीन आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनका चयन गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के आदेश क्रमांक F.No.9-3(CCLTS-1)/2022 -Admn./2292 Dated 22-02-2023 के तहत आचार्य (CCLTS and SLL&CS) पद पर हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रो0 अग्रवाल की सहमति उपरांत उनके देय परिलाभों से तीन माह की नोटिस अवधि के समान वेतन राशि की कटौती की गई। उसके पश्चात् प्रो0 अग्रवाल द्वारा दिनांक 15.01.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर तीन माह नोटिस अवधि के समान वेतन राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाये जाने से छूट प्रदान किये जाने एवं लियन से वंचित न रखे जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रो0 सुरेश कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के क्रम में विश्वविद्यालय में प्रभावी म.द.स. विश्वविद्यालय Condition of Service etc के प्रावधान अनुसार तथ्यात्मक टिप्पणी संलग्न अनुसार प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रस्ताव पर प्रबंध बोर्ड ने सुझाव दिया कि इस प्रकार के प्रकरणों में राज्य सरकार से नियमों की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। वर्तमान में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।**	संस्थापन अनुभाग
569	परीक्षा वर्ष 2022 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपाधि कार्यों हेतु मानदेय का भुगतान म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के भांति करने के संबंध में प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**	उपाधि
570	प्रतिवेदित है कि माननीय कुलगुरु की प्रदत्त आज्ञा की पालना में विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षात्मक एवं विविध कार्यों हेतु मानदेय भुगतान के संबंध में प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 5537 दिनांक 16.08.2024 जारी किया गया। उक्त आदेश प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबंध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई। साथ ही निर्देश प्रदान किये कि भविष्य में प्रत्याशा में किसी भी प्रकार के प्रकरण के अनुमोदन यथासंभव नहीं किये जावें। आवश्यक होने पर तत्काल विशेष बैठक ऑफलाइन/ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कर निर्णय करवाए जाएं।**	गोपनीय

571	प्रतिवेदित है कि यूजीसी सार्वजनिक सूचना क्रमांक 140648 दिनांक 27.03.2024 (National Eligibility Test as an entrance test for admission to Ph.D.) के प्रावधान को अंगीकृत किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12( )/मगंसिंविबी/शोध/2025/495–503 दिनांक 23.04.2025 जारी की गई। उक्त अधिसूचना प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अधिसूचना की पुष्टि की गई।**	शोध
572	प्रतिवेदित है कि माननीय कुलगुरु द्वारा प्रदत्त आज्ञा की पालना में वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए आगामी तीन माह (अप्रैल से जून 2025) तक आवश्यकतानुसार यथानुपात आधार पर व्यय करने की स्वीकृति प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की गई। उक्त संबंध में जारी आदेश क्रमांक प.05(122)लेखा/मगंसिंविबी/2025/18232–36 दिनांक 28.03.2025 प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई।**	लेखा
573	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा वर्ष 2025 हेतु मुख्य एवं प्रायोगिक उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु अनुमोदित फर्म मै. रेन्बो पेपर प्रोडक्ट, उदयपुर को कार्यादेश क्रमांक 14999 दिनांक 20.01.2025 की एवज आपूर्तित उत्तरपुस्तिकाओं के क्रम में निविदा शर्तानुसार फर्म को राशि रू. 1,12,65,505/– प्रबंध मण्डल की पुष्टि की प्रत्याशा में माननीय कुलगुरु की स्वीकृति उपरान्त किया गया। फर्म को भुगतान के संबंध में जारी भुगतान आदेश क्रमांक एफ.4( )/मगंसिंविबी/सा.प्र./2025/17870 दिनांक 20.03.2025 पुष्टि हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई ।**	सामान्य प्रशासन अनुभाग
574	वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 16.10.2020 के अनुरूप वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से तथा विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय फंड का निवेश किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड ने वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के साथ आवश्यकता पड़ने पर केवल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में निवेश करने एवं पेमेंट गेटवे लेने का निर्णय लिया।**	लेखा
575	प्रतिवेदित है कि माननीय कुलगुरु की स्वीकृति अनुसार विश्वविद्यालय में "महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन" के गठन की स्वीकृति प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई। उक्त	

	संबंध में जारी आदेश क्रमांक 1964 दिनांक 19.05.2025 पुष्टि हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि करते हुए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय फाउण्डेशन के गठन करने का निर्णय लिया गया। फाण्डेशन की प्रक्रिया के नियम/परिनियम आगामी प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये।**	शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय
576	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय वित्त समिति में माननीय कुलगुरु द्वारा प्रो. अन्नाराम शर्मा को प्रबंध बोर्ड द्वारा नामित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त संबंध में जारी आदेश क्रमांक प.05(132)लेखा/मगंसिंविबी/2005/3308—14 दिनांक 05.06.2025 पुष्टि हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई। इसके अतिरिक्त वित्त समिति में वित्त के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया।**	लेखा
577	विश्वविद्यालय छात्रावास प्रभारियों (छात्र एवं छात्रा हॉस्टल) द्वारा प्रस्तुत छात्रावास निर्देशिका 2025—26 (Hostel Manual 2025-2026) के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा छात्रावास निर्देशिका का अनुमोदन किया गया।**	हॉस्टल प्रभारी

टेबल मद

मद संख्या	मद	
578	माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा प्रदत्त आज्ञा दिनांक 27.10.2025 की पालना में विश्वविद्यालय में प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों के प्रतिदिन दिए जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि (राशि 600/— प्रतिदिन प्रति श्रमिक) किये जाने का प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय में निरन्तर हो रहे कार्यवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित सीमा में अधिकतम 10 संविदा श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही भविष्य में विश्वविद्यालय कार्यो की विस्तार से समीक्षा करते हुए आगामी बैठक में आवश्यकता सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये।**	सामान्य प्रशासन अनुभाग
579	विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024—25 की सनद लेखाकार अंकेक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 की सनद लेखाकार अंकेक्षण**	लेखा

	रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। साथ ही अंकेक्षण रिपोर्ट में अंकित अग्रिम राशि का शीघ्र तय समय सीमा में समायोजन करवाने की प्रक्रिया पूर्ण करवाने हेतु वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया।	
580	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 5099 दिनांक 07.10.2025 के द्वारा प्रयोगशाला सहायकों तथा तकनीकी सहायकों को विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के समान परीक्षा वर्ष 2024–2025 हेतु मानदेय/पारिश्रमिक दिए जाने की स्वीकृति का आदेश प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई ।**	गोपनीय
581	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 10068–73 दिनांक 26.09.2025 के द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के समान परीक्षा वर्ष 2024–2025 हेतु मानदेय/पारिश्रमिक दिए जाने की स्वीकृति का आदेश प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई ।**	गोपनीय
582	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 8468–8476 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा परीक्षा वर्ष 2024–2025 के कार्य हेतु अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/संविदा श्रमिकों को एक माह के मूल वेतन अथवा 50,000/– रू. जो भी कम हो, के समान राशि का पार्ट पेमेन्ट के रूप में अग्रिम मानदेय भुगतान करने की स्वीकृति का आदेश प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा आदेश की पुष्टि की गई ।**	गोपनीय
583	विश्वविद्यालय में पदस्थापित नियमित कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को पीएच.डी. में प्रवेश हेतु 05 प्रतिशत सीटें विशेषाधिकार के तहत निर्धारित करने एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आदेश की भांति शुल्क निर्धारण करने का प्रस्ताव।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।**	शोध

धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

05/12/25

सदस्य सचिव